

31/2025 दाखल दि 6.3.25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम पिडावा जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 462 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

| भू प्रबंध खतौनी खाता सं. | भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि | वर्तमान जमाबंदी खाता सं. | वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज | प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि) |
|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 502 | ① घनश्याम पुत्र रामा ② भापूसाल पुत्र रामा ③ भंपरबाई पुत्री रामा ④ मोहनलाल पुत्र रामा ⑤ सरगान बाई पति स्व. रामा ⑥ सोहनबाई पुत्री रामा दि. बराबर दि. 1/2 लाहिंगण चमार सा. गांव खातेदार | 462 | जाति. चमार | जाति. मेघवाल |

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. भापूसाल शं. रामा जाति- चमार डि. पिडावा
2. मोहनलाल शं. रामा जाति- चमार डि. पिडावा
3. घनश्याम शं. रामा जाति- चमार डि. पिडावा
4. स्वतन्त्र जैन शं. अशोक कुमार जैन डि. पिडावा
सांवरिया शं. कन्हैयाजी जाति- वैराजी डि. लांगरीपर

हस्ताक्षर
भापूसाल
मोहनलाल
घनश्याम
स्वतन्त्र जैन
सांवरिया

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम पिडावा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

8/3/25

हस्ताक्षर पटवारी
प०म० पिडावा

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

मू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०
8/3/25

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/285

दिनांक : 12-3-2025

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम पिडावा के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/न्यायालय तहसीलदार
12/3/25
तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/31

दिनांक : 18/03/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम पिडावा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)